129

-1-

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

5 रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

निग - 1468 - I-16

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

तुलसीराम मरावी पिता अकल सिंह मरावी

जाति गौंड (आदिवासी)

मकान नं. 32, ग्राम ऐंगाखेड़ा तहसील व

जिला जबलपुर म0प्र0 ...... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर ---- गैर निगरानीकर्ता

श्री के.के. द्विवेदी अधि. को द्वारा आज दि. 11/5/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-4-2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 63/अ-21/2015-16.

मान्यवर

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक कमांक 63/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र. प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंगाखेड़ा प.ह.नं. 28 फनवानी, रा0नि0म0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. कमशः 243, 245, 258/1, 271, 258/2 रकबा कमशः 0.650, 0.200, 0.800, 0.390 एवं 0.320 हैक्टर कुल रकबा 2.36 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि असिंचित, कम उपजाऊ तथा ऊबड़ खाबड़ होने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति श्री राजीव जुनेजा पिता श्री एस.के. जुनेजा, निवासी 286/2 साउथ

(129)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1468-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-9-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । आवेदक तथा उपस्थित शासकीय पैनल अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1468-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 17-5-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि का विक्रयपत्र निष्पादन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक माह अगस्त में उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र का निष्पादन कराने हेतु उपस्थित हुए तब उप पंजीयक द्वारा कलेक्टर (आर.डी.एम. शाखा) जबलपुर के पत्र दिनांक 19-7-16 का हवाला देते हुए विक्रयपत्र का निष्पादन करने से इंकार करते हुए कहा गया कि वे विक्रयपत्र के निष्पादन के आदेश जिलाध्यक्ष से लेकर आयें । इस कारण से विक्रयपत्र का निष्पादन अभी तक नहीं हो सका है उक्त कार्यवाही में समय लगने की संभावना है और इस न्यायालय के आदेश द्वारा निर्धारित 4 माह की अवधि दिनांक 17-9-16 को समाप्त हो रही है । उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि को 3 माह और बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है । अतः न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को विक्रयपत्र निष्पादित कराने हेतु 3 माह का समय और प्रदान किया जाता है । सदस्य	9.9.16

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1468-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 63/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25-4-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक तुलसीराम मरावी पिता श्री अकल सिंह मरावी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंताखेड़ा प.ह.नं. 28 फनवानी, रा0नि0म0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. कमशः 243, 245, 258/1, 271, 258/2 रकबा कमशः 0.650, 0.200, 0.800, 0.390 एवं 0.320 हैक्टर कुल रकबा 2.36 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री राजीव जुनेजा पिता श्री एस.के. जुनेजा को विकय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा	

नि॰ 1468-ए/14 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण तथा आवेदक को पारिवारिक कारणों से पैसों की आवश्यकता होने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में 3 माह आगे की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास ग्राम ऐंठाखेड़ा तथा ग्राम रामपुर नकटिया में 5.90 हैक्टर भूमि शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ऐंठाखेड़ा प.ह.नं. 28 फनवानी, रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नं. क्रमशः	

-5-

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1468 -एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	243, 245, 258/1, 271, 258/2 रकबा कमशः 0.650, 0.200, 0.800, 0.390 एवं 0.320 हैक्टर कुल रकबा 2.36 हैक्टर भूमि को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	